न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–182 / 2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मोहनराम पुत्र हीराराम 2. पोलाराम पुत्र हीराराम जातियान भील निवासी सिणधरी चौसीरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. चूनाराम पुत्र रूपाराम 2. दूदाराम पुत्र रूपाराम 3. भानाराम पुत्र रूपाराम 4. जबराराम पुत्र देवाराम 5. सुजाराम पुत्र देवाराम 6. मेथोदेवी पत्नि देवाराम 7. देराजराम पुत्र हीराराम 8. मानाराम पुत्र हीराराम 9. लूम्भाराम पुत्र हीराराम 10. डाईदेवी पत्नि हीराराम जातियान भील निवासी सिणधरी चौसीरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 11. हराराम पुत्र प्रभुराम जाति भील निवासी तिलवाड़ा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 12. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1.श्री राजेन्द्र माली अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा–

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:58:40 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक– 13.08.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि [illegible] सिणधरी चौसिरा पटवार हल्का सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 97/1रकबा 12.[illegible] हैक्टेयर भूमि में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते वक्त राजस्व कार्मिकों द्वारा मूलवंश सही नाम मोहनराम पुत्र हीराराम पोलाराम पुत्र हीराराम तथा के स्थान पर प्रार्थी का गलत नाम कोहलाराम पुत्र हीराराम

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

तथा पोपटराम पुत्र हीराराम दर्ज कर दिया गया है जो गलत दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम मोहनराम पुत्र हीराराम व पोलाराम पुत्र हीराराम है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर कोहलाराम पुत्र हीराराम व पोपटराम पुत्र हीराराम के स्थान पर मोहनराम पुत्र हीराराम व पोलाराम पुत्र हीराराम दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 12 की तरफ से पैरोकार सरकार उप.। शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया मौजा सिणधरी चौसिरा पटवार हल्का सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 97/1रकबा 12.2968 हैक्टेयर भूमि में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते वक्त राजस्व कार्मिकों द्वारा भूलवंश सही नाम मोहनराम पुत्र हीराराम व पोलाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर प्रार्थी का गलत नाम कोहलाराम पुत्र हीराराम व पोपटराम पुत्र हीराराम दर्ज कर दिया गया है जो गलत दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम मोहनराम पुत्र हीराराम व पोलाराम पुत्र हीराराम है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर कोहलाराम पुत्र हीराराम व पोपटराम पुत्र हीराराम होने से प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं हो रहा हैं, आगे ओर कथन किया कि विप्रार्थी तहसीलदार सिणधरी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मोहनराम पुत्र हीराराम व पोलाराम पुत्र हीराराम ही है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में इन्द्राज प्रार्थी का नाम कोहलाराम पुत्र हीराराम व पोपटराम पुत्र हीराराम के स्थान पर मोहनराम पुत्र हीराराम व पोलाराम पुत्र हीराराम दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावें।

4. हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन एवं पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात व जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया जिसमें पाया कि मौजा सिणधरी चौसिरा पटवार हल्का सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 97/1 रकबा 12.2968 हैक्टेयर भूमि में अवस्थित प्रार्थी का नाम मोहनराम पुत्र हीराराम व पोलाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में राजस्व कार्मिकों की भूलवंश से प्रार्थी का नाम कोहलाराम पुत्र हीराराम व पोपटराम पुत्र हीराराम गलत नाम दर्ज हो रखा है। क्योकि प्रार्थी का सही नाम मोहनराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:58:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

हीराराम व पोलाराम पुत्र हीराराम है। इससे साबित होता है कि प्रार्थी का नाम मोहनराम पुत्र हीराराम व पोलाराम पुत्र हीराराम है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम इन्द्राज की प्रविष्टि तत्कालीन हल्का पटवारी की गलती से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है, इस प्रकार प्रार्थी अपने आप को कोहलाराम पुत्र हीराराम व पोपटराम पुत्र हीराराम के स्थान पर मोहनराम पुत्र हीराराम व पोलाराम पुत्र हीराराम दुरूस्त करवानें का हकदार है। इसी प्रकार तहसीलदार सिणधरी ने अपने जबाव में स्वीकार किया है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है,जबकि का सही नाम मोहनराम पुत्र हीराराम व पोलाराम पुत्र हीराराम है। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजी साक्ष्यो–सरकारी दस्तावेजात यथा–, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, महानरेगा जॉब कार्ड, पैनकार्ड, जन आधार कार्ड में प्रार्थीगण का नाम मोहनराम पुत्र हीराराम व पोलाराम पुत्र हीराराम अंकित है। उपरोक्त विवेचन से साबित होता है,कि प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम कोहलाराम पुत्र हीराराम व पोपटराम पुत्र हीराराम इन्द्राज हो रखा है, जबकि प्रार्थीगण का सही नाम मोहनराम पुत्र हीराराम व पोलाराम पुत्र हीराराम है, जो दुरूस्ती करवानें के योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा सिणधरी चौसिरा पटवार हल्का सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 97/1 रकबा 12.2968 हैक्टेयर में **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि प्रार्थीगण का नाम मोहनराम पुत्र हीराराम व पोलाराम पुत्र हीराराम दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:58:40 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 13.08.2025 को लिखकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner